न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 130/2021 दायर दिनाँक 08.07.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. हेम सिंह पुत्र भवानी उम्र 70 वर्ष 2. मुनेश कंवर बैवा गोपालसिंह उम्र 30 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी बैमोठ, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 3. गतित सिंह पुत्र गोपाल सिंह 4. शिवानी पुत्री गोपाल सिंह 5. बरखा पुत्री गोपाल सिंह (नाबालिक जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता मुनेश कंवर बैवा गोपाल सिंह) समस्त जाति राजपूत निवासी बैमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. प्रताप सिंह पुत्र पुस सिंह 2. रघुवीर सिंह पुत्र पुस सिंह 3. राजेन्द्र सिह पुत्र पुस सिंह 4. मान सिंह पुत्र भवानी सिंह 5. आशा कंवर पत्नि किशोर सिंह 6. काली सिंह पुत्र किशोर सिंह 7. भगत सिंह पुत्र किशोर सिंह 8. भोम सिंह पुत्र किशोर सिंह 9. जेरावर सिंह पुत्र किशोर सिंह 10. पृथ्वी सिंह पुत्र किशोर सिंह 11. रेणु कंवर पुत्री किशोर सिंह 12. पिंकी कंवर पुत्री किशोर सिंह 13. गुलाब सिंह दत्तक पुत्र पेफ सिंह 14. भैरू सिंह पुत्र फुल सिंह 15. गुलाब सिंह पुत्र नन्द सिंह 16. मनोहर सिंह पुत्र नन्द सिंह 17. रतन कंवर पत्नि ओंकार सिंह 18. विक्रम सिंह पुत्र ओंकार सिंह 19. चन्द्रकलां कंवर पुत्री ओंकार सिंह 20. सुमन कंवर पुत्री ओंकार सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बैमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 21. प्रशासक ग्राम पंचायत दीनदारपुरा 22. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादी।
2. श्री संमदर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 06, 08, 14, 18, 20 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 08.09.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा सरहद बैमाठ के खेत पुराने खसरा 27 नये खसरा सं0 44 रकबा 1.97 हैक्ट0 किस्म बारानी प्रथम व पुराने खसरा सं0 59 व नया खसरा सं0 81 रकबा 3.04 हैक्ट0, पुराने खसरा सं0 60 के नये खसरा सं0 82 रकबा 2.35 हैक्ट0 बारानी प्रथम कुल खसरा 03, कुल रकबा 7.36 [illegible] नि. क्षै. दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर में अवस्थि[illegible]

यह है कि कृषि भूमि [illegible] 59 नया खसरा सं0 81 व खस[illegible] में खातेदारी भवानी सिंह पुत्र देवी सिंह [illegible] कालान्तर रहे।

यह है कि भवानी सिंह के चार पुत्र हुये चार [illegible] क्रम से पुस सिंह, मान सिंह, हेम सिंह, प्रेम सिंह हुये, जिनमें पुस सिंह व प्रेम सिंह देहान्त हो गया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 प्रताप सिंह 02 रघुवीर सिंह 03 राजु सिंह स्व. पुस सिंह के पुत्रगण है जबकि प्रेम सिंह के दो पुत्र क्रमशः बहादुर सिंह व गोपल सिंह हुये, जिसमें बहादुर सिंह नाऔलाद फौत हो गया, वादीगण 03 ता 05 के पिता व 02 के पति गोपाल सिंह का हाल ही में कॉविड–19 की बिमारी देहान्त हो गया इस प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने खसरा 27 नये खसरा सं0 44 में वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर एवं निर्वाद रूप से चला आ रहा है।

यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 20 ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों से मिलकर कृषि भूमि खसरा सं0 81 व 82 के साथ खसरा सं0 44 को भी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि मौके पर कृषि भूमि पुराने खसरा सं0 27 नये खसरा सं0 44 में शुरू से ही वादीगण का कब्जाकाश्त रहा है। तथा भवानी सिंह के अन्य वारिश प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है वर्तमान में कृषि भूमि पुराने खसरा सं0 27 नये खसरा सं0 44 रकबा 1.97 हैक्ट0 अर्थात 12 बीघा 03 बिस्वा पर वादी संख्या 01 का हिस्सा 1/2 व वादी संख्या 02 ता 05 का हिस्सा 1/2–1/2 है, तथा इसी अनुरूप मौके पर बहामी बंटवारा कर नींव–सींव कायम कर कब्जा काश्तकार चले आ रहे है, तथा इसी अनुरूप घोषणा खातेदारी करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 27 नये खसरा सं0 44 रकबा 1.97 हैक्ट0 अर्थात 12 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी के पक्ष में उद्घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नई पास बुक खतौनी जारी की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 22 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03, 09, 21, 22 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

शेष प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। वाद के समर्थन मे, वादी ने शपथ–पत्र पेश किया।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार/इकबालिया जवाब मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् दावानुसार/इकबालिया जवाब के मुताबिक खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् दावा/इकबालिया जवाब मुताबिक दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा/इकबालिया जवाब के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—:आदेश :—

हस्व दावा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर शरहद बैमाठ की कृषि भूमि के पुराने खसरा सं0 27 के नये खसरा सं0 44 रकबा 1.97 अर्थात 12 बीघा 03 बिस्वा में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **08.09..2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **130/2021** दायर दिनाँक **08.07.2021**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. हेम सिंह पुत्र भवानी उम्र 70 वर्ष 2. मुनेश कंवर बैवा गोपालसिंह उम्र 30 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी बैमोठ, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 3. गतित सिंह पुत्र गोपाल सिंह 4. शिवानी पुत्री गोपाल सिंह 5. बरखा पुत्री गोपाल सिंह (नाबालिक जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता मुनेश कंवर बैवा गोपाल सिंह) समस्त जाति राजपूत निवासी बैमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. प्रताप सिंह पुत्र पुस सिंह 2. रघुवीर सिंह पुत्र पुस सिंह 3. राजेन्द्र सिह पुत्र पुस सिंह 4. मान सिंह पुत्र भवानी सिंह 5. आशा कंवर पत्नि किशोर सिंह 6. काली सिंह पुत्र किशोर सिंह 7. भगत सिंह पुत्र किशोर सिंह 8. भोम सिंह पुत्र किशोर सिंह 9. जेरावर सिंह पुत्र किशोर सिंह 10. पृथ्वी सिंह पुत्र किशोर सिंह 11. रेणु कंवर पुत्री किशोर सिंह 12. पिंकी कंवर पुत्री किशोर सिंह 13. गुलाब सिंह दत्तक पुत्र पेफ सिंह 14. भैरू सिंह पुत्र फुल सिंह 15. गुलाब सिंह पुत्र नन्द सिंह 16. मनोहर सिंह पुत्र नन्द सिंह 17. रतन कंवर पत्नि ओंकार सिंह 18. विक्रम सिंह पुत्र ओंकार सिंह 19. चन्द्रकलां कंवर पुत्री ओंकार सिंह 20. सुमन कंवर पुत्री ओंकार सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण बैमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 21. प्रशासक ग्राम पंचायत दीनदारपुरा 22. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाझा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **08.09.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादी व श्री संमदर सिंह वकील प्रतिवादी सं0 06, 08, 14, 18, 20 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर शरहद बैमाठ की कृषि भूमि के पुराने खसरा सं0 27 के नये खसरा सं0 44 रकबा 1.97 अर्थात 12 बीघा 03 बिस्वा में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

बाबत ....–..........
नीज..........–.......... मुबलिग..........–.......... तारीख को अदा करें।
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज दिनांक 08.09.2021 को सरे इजलास बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:39:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner